न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत हिण्डोली

प्रकरण संख्या:– 66/दावा/2017

1. हेमराज आयु 40 वर्ष आ0 श्री हरज्या जाति बैरवा निवासी तार का खेडा
2. पप्पू आयु 37 वर्ष आ0 श्री हरज्या जाति बैरवा निवासी तार का खेडा, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

प्रतिवादी

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

प्रतिवादी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 08/12/2021

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पत्र अन्तर्गत
धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या
606/897 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया पटवार मण्डल छाबडियों का
नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थिति है जो जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073
की खतोनी संख्या 156 में वादीगण के दर्ज है। ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया की कृषि भूमि
खसरा सख्या 369 रकबा 15 बीघा भूमि वादी के पिता हरज्या आ0 रामदेव के नाम आंवटन
एडवायजरी कमेठी हिण्डोली दिनांक दिनांक 10.02.1962 को काश्त हेतु अलोट की थी
उक्त भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 606/897 बने है। वादीगण के पिता को आंवटन के
तुरन्त बाद वादग्रसत भूमि पर कब्जा सम्भला दिया था तब से वादीगण के पिता उक्त भूमि
पर निरन्तर निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के खेती करते चले आ रहे
थे। वादीगण के पिता ने उक्त भूमि के चारो तरफ कांटो की बाड व मेडबंदी करके उक्त
भूमि पर काश्त करते रहे है। भूमि की फसल की सिंचाई हेतु वादी के पिता ने कुआ
खुदवाया है एवं बोरिंग भी लगवाया है। जो मौके पर मौजूद है तथा उक्त भूमि को नोतोड
से फाड़कर काफी पैसा लगाकर वादी के पिता ने उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया है।
वादीगण के पिता की गत 5–6 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है उनकी मृत्यु के बाद से ही
वादीगण उक्त भूमि पर खेती करते चले आ रहे है। वादीगण की तरफ उक्त भूमि की
किसी प्रकार की कोई राशि बकाया नही है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण के
पिता गरीब, भूमिहीन व अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने से वादीगण के पिता को उक्त
भूमि निःशुल्क अलोट की थी। फिर भी वादीगण ने सदभावना पूर्वक राजहित को देखते हुये

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

1962 से अलोटमेन्ट की दर के अनुसार राशि राजकोष में दिनांक 26.07.2017 को जमा करवा दी है। इस प्रकार वादीगण की तरफ किसी प्रकार की कोई राशि बकाया नही है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में मक्का, तिल्ली व उडद की फसल बो रखी है और भूमि पर ही छपरा बनाकर निवास कर रहे है। वादीगण ने आंवटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। वादीगण के पिता आंवटन से 10 वर्ष बाद स्वतः ही खातेदार बन गये थे लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने आज दिन तक भी उक्त भूमि को वादीगण के खातेदारी में दर्ज नही किया है जो राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का पेगाम है। वादीगण के पिता को उक्त भूमि काश्त करने हेतु अलोट की और अलोट की हुई भूमि वादीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप उक्त भूमि को वादी के पिता के नाम लीजदारी में दर्ज कर दिया है। उक्त अंकन विधि विरूद्व है। भूमि जब अलोट हुई है तो अलोट शुद्वा भूमि को लीजदारी में दर्ज करने का राजस्व कर्मचारियों को अधिकार नँही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में लीजदारी की कोई श्रेणी नही है। लीजदारी का अंकन वैध व गैर कानूनी है। राजस्व कर्मचारियों ने वाद्रग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में लीजदार का अंकन करने से पूर्व वादीगण के पिता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है और बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम लीजदारी में दर्ज करके अवैध कृत्य किया है जो वादीगण के हितो के विपरीत है। कानूनन आंवटन के 10 वर्षो पश्चात भूमि पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान करने व भूमि खातेदारी में दर्ज करने के प्रावधान है और वर्तमान में खातेदारी में दर्ज करने के अवधि आंवटन से 3 तीन वर्ष कर दी गई है। इस प्रकार आंवटन से तीन वर्ष बाद स्वतः ही भूमि को खातेदारी में दर्ज करने के प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किये हुये है। वादीगण ने प्रतिवादी से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में गलत दर्ज किये गये लीजदारी को विलोपित करने एवं भूमि को वादीगण के खातेदारी में दर्ज करने का दिनांक 07.06.2017 को निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने लीजदारी का अंकन हटाने से इन्कार कर दिया। यही वाद उत्पति का कारण है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादग्रस्त भूमि खसरा सख्या 606/897 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज लीजदारी के अंकन को विलोपित करावे एवं वाग्रस्त भूमि पर वादीगण को खातेदारी घोषित करावें एवं राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी के कॉलम में वादीगण का नाम दर्ज करवावें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाज नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर से लीज़दारी का अंकन हटाने व वादीगण को उक्त भूमि खातेदार घोषित करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के यहा दिनांक 07.06.2017 को आवेदन किया लेकिन 2 माह की अवधि गुजर जाने के बावजूद भी वादीगण को उक्त भूमि पर खातेदार घोषित नही किया है और लीजदारी का अंकन विलोपित नही किया गया है। इसलिए 2 माह की अवधि के बाद यह वाद श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में होने से श्रीमान को उक्त वाद के श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अन्तर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्यायशुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावें कि – कृषि भूमि खसरा संख्या 606/897 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जावें साथ ही राजस्व रिकोर्ड में दर्ज खातेदार के अंकन को विलोपित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रदान की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मुताबिक संलग्न जमाबंदी स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 वादी स्वयं सिद्व करें। वाद पत्र की चरण संख्या 4 व 5 अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 6 कानूनी है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 व 8 वादी स्वयं सिद्व करें। वाद पत्र की चरण संख्या 9 अस्वीकार है। महोदय, वादीगण के पिता को संलग्न आंवटन की फोटों प्रति अनुसार दिनांक 10.05.1962 को पुराने खसरा नम्बर 369 में से 15 बीघा भूमि आंवटन हुई थी, मिलान क्षेत्रफल अनुसार इसके नये खसरा नम्बर 606/897 रकबा 15 बीघा बना था जो वर्तमान में वादीगण के लीजदारी में दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक अनुसार उक्त उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। मूल पत्रावली वाछित है। यथा आंवटन खारिज तो नही हुआ है व राजकीय बकाया के संदर्भ में टी0आर0ए0 तहसील हिण्डोली की रिपोर्ट अपेक्षित है। जवाब सादर प्रेषित है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया खाता संख्या 156 सम्वत 2070 से 2073, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 369, छायाप्रति आवेदन पत्र मय पटवारी रिपोर्ट लीजदारी से खातेदारी दिये जाने बाबत दिनांक 07.06.2017, फोटोप्रति आंवटन आदेश 10.05.1962, फोटो प्रति रसीद किमत भूमि जमा नम्बर 0070430 प्रस्तुत की है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत छाबडियों का नयागांव में पेश हुई। नायब तहसीलदार दबलाना की ओर पत्र कमांक :– राजस्व/21/15 दिनांक 24.11.2021 से मौका जांच रिपोर्ट दौराने केम्प पेश की, जो शामिल मिसल है। वकील वादीगण उपस्थित है जिन्होने बहस अन्तिम सुने जाने व प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। हमने वकील वादीगण की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 08.12.2021 केम्प हिण्डोली में पेश हुई।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 केम्प हिण्डोली में पेश हुई। वकील वादीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। प्रकरण में विवादित भूमि वादीगण के पूर्वज हरज्या आ0 रामदेव को दिनांक 10.05.1962 को खसरा नम्बर 369 में से 15 बीघा लीजदारी में आंवटित हुई थी, जो वर्तमान मे वादीगण के नाम लीजदारी में दर्ज है, को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है। प्रकरण में पटवारी हल्का छाबडियों का नयागांव द्वारा विवादित भूमि की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें भूमि खसरा संख्या 606/897 रकबा 15 बीघा में से 14.05 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना अंकित है साथ ही पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार विवादित भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

दीगण के पूर्वज को दिनांक 10.05.1962 को पुराने खसरा नम्बर 369 वर्तमान खसरा म्बर 606/897 लीजदारी में आंवटित होना व वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त होना अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश 10.05.1962 से खसरा नम्बर 369 में से 15 बीघा ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया प0म0 छाबडियों का नयागांव में 15 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वज हरज्या को लीजदारी में आंवटित होना प्रमाणित है व उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना प्रमाणित जाहिर आया है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से विवादित भूमि वादीगण को विधिवत आंवटन होना व लगातार कब्जा काश्त होने व आंवटन शर्तो की पालना करने से स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 606/897 रकबा 15 बीघा में से 14.05 बीघा (कब्जे अनुसार) वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया, पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव जो कि वादीगण हेमराज, पप्पू पिता हरज्या (अन्य जमाबंदी अनुसार सम्पत पुत्री हरज्या, प्रेम बेवा हरज्या) को बैरवा के नाम लीजदारी में दर्ज है, पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण की ओर से यदि भूमि बाबत कोई राजकीय राशि बकाया हो तो तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा जॉच कर जमा करने के उपरान्त राजस्व रिकोर्ड में खातेदार के रूप में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत हिण्डोली में सरेआम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली